

फर्द अहकाम

वि.वेन्द्र सिंह

बनाम प्रभावी फेरी

A C & I M (F.T.)

SHAHUPURA (JAIPUR)


01/10/25

दिनांक

क्रमांक या पृष्ठी	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
----------------------	----------------------	-------

120 पठावली फेरी दुर्घ। वकील प्रतिवादी उपस्थित।
वादी एवं उरठे अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वकील
प्रतिवादी की खसम पर मनन विद्य गदा। पठावली
का हावलोकन विद्य गदा। छठि उरठे पाठ-पा
के संलग्न डाठपा T.I. में दिनांक 26/9/25
को वकील वादी द्वारा कुन्तिल प्राधिका-का
पेश विद्य गदा, जिसका जवाब क्रिजयाग आ
पुमा है एवं वसठे उपरांत उकरण में आठलापेयी
3/10/2025 व वसठे उपरांत 10/10/2025 नियत
की गई एवं लापेयी 10/10/2025 को वकील वादी
द्वारा दिवायत पैरकी नहीं करना जाहिर विद्य गदा।
अर्थात् जगभग 15 दिवस पूर्व पसगा वकील वादी
के सम्पर्क में थी परन्तु अब नहीं, इससे जासि
सोता है कि उकरण को अनावरघठ रूप से
खंडित विद्य जा रहा है। उकरण में न्यायालय
द्वारा आदेश दिधे जाने उपरांत डाठपा 07R11
CPC का जवाब पेश नहीं विद्य गदा एवं शेख
अधिवक्ता की लागील भी नहीं उरवाई गई जो
कि न्यायालय आदेश की अवहेलना है एवं
Delay tactics है।

उपर्युक्त विवेचनों से जाहिर होता है कि
वादी व वकील वादी की उकरण में रुचि
नहीं रही है एवं प्रभावी फेरी के अभाव का
आभास स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। अतः
उकरण में CPC के प्रावधानों की पालना नहीं
करने से एवं न्यायालय आदेश की अवहेलना
करने से पठावली अदम तकमील में रकारिज
की जाती है। पठावली निर्गीत सुभार होकर
दाखिल दफ्तर से व दर्ज नंबर से कम हो।


सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

फर्द अहकाम

विजेन्द्र सिंह

बनाम प्रेमवती कौण्ड

A. C. & E. M. (F. T.)

SHAHUPURA (JAIPUR)

60/2025

दिना

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
15/10/25	<p>पत्तावली पेशा दुर्घि। वडील प्रतिवादी उपस्थित वादी एवं उनसे अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वडील प्रतिवादी की खस पर मनन विदा गदा। पत्तावली का हावलोकन विदा गदा। धंडि उक्त पाह-पा के संलग्न छाठपा T.I. में दिनांक 26/9/25 से वडील वादी द्वारा मुक्तिल प्राथिका-पा पेश विदा गदा, जिसका जवाब क्रिजपाग आ पुभा है एवं बसठे उपरांत उकरण में आठतापेयी 3/10/2025 व बसठे उपरांत 10/10/2025 नियत की गई एवं तापेयी 10/10/2025 को वडील वादी द्वारा विदायत पेशकी नहीं करना जाहिर विदा गदा। अर्थात् लगभग 15 दिवस पूर्व पदागार वडील वादी के सम्पर्क में थीं परन्तु अब नहीं, इससे जाहिर होता है कि प्रकरण को अनावश्यक रूप से खंडित विदा जा रहा है। उकरण में न्यायालय द्वारा आदेश दिधे जाने उपरांत छाठपा 07R11 CPC का जवाब पेश नहीं विदा गदा एवं शेष प्रतिक्रियाओं की तालील भी नहीं उरवाई गई, जो कि न्यायालय आदेश की अवहेलना है एवं Delay tactics हैं।</p> <p>उपर्युक्त विवेचनों से जाहिर होता है कि वादी व वडील वादी की उकरण में रुचि नहीं रही है एवं प्रभावी पेशकी के अभाव का आभास स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। अतः उकरण में CPC के प्रावधानों की पालना नहीं करने से एवं न्यायालय आदेश की अवहेलना करने से पत्तावली अद्यतकमील में खारिज की जाती है। पत्तावली निर्गत शुभार होना दाखिल दफ्तर से व दर्ज नंबर से कम से।</p>	

सहायक कलक्टर